भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2902 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में विज्ञापन

2902. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों, पैदल उपरि पुल तथा रेलगाड़ियों के अंदर प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापनों को नियंत्रित करने वाली नीतियों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है तथा विज्ञापनदाताओं को मंजूरी देने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान स्टेशन स्तर और रेलगाड़ी स्तर के विज्ञापनों से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और रेलवे जोन-वार कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि रेलवे के सार्वजनिक जगहों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन भ्रामक, नुकसानदायक/ गैर-अनुमेय वाली विषय-वस्तु को बढ़ावा न दें और ऐसे नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने का क्या तरीका है; और

(घ) रेलवे के लिए गैर-किराया राजस्व बढ़ाने हेतु डिजिटल विज्ञापन, आधुनिक प्रदर्शन प्रणालियों और स्टेशन ब्रांडिंग पहलों का विस्तार करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं/लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल द्वारा रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों, पैदल पार पुलों और गाड़ियों के अंदर विज्ञापनों के प्रदर्शन के संबंध में विभिन्न नीतियां जारी की गई हैं। इनमें निम्नानुसार शामिल हैं:

- **स्टेशन परिसर में विज्ञापन रेल प्रदर्शन नेटवर्क (आरडीएन) नीति के तहत नियंत्रित होते हैं।**
- **रेलवे के अन्य क्षेत्रों में विज्ञापन स्टेशन से बाहर विज्ञापन (ओओएचए) नीति के तहत कवर किए जाते हैं।**
- **रेलगाड़ियों और इंजनों के आंतरिक और बाह्य सतह के हिस्सों पर विज्ञापन चल परिसंपत्ति संबंधी विभिन्न नीतियों के तहत कवर किए जाते हैं।**

सभी विज्ञापन संविदा भारतीय रेल ई-प्रापण प्रणाली (आईआरईपीएस) के ऑनलाइन पोर्टल पर ई-नीलामी के जरिए प्रदान किए जाते हैं, जहां बोलीदाता का चयन, वाणिज्यिक आय और गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) संविदा नीति और संविदा की विशेष शर्तों की नीतियों के तहत किया जाता है। इस नीति में विज्ञापनदाताओं के लिए पात्रता मानदंडों की रूपरेखा का भी उल्लेख किया गया है।

स्टेशन स्तर और गाड़ी स्तर के विज्ञापनों से अर्जित राजस्व के आंकड़े क्षेत्रीय रेल-वार रखे जाते हैं क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रीय रेल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, स्टेशन स्तर और गाड़ी स्तर के विज्ञापनों के माध्यम से 1,313 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञापनों में भ्रामक, हानिकारक या गैर-अनुमत विषय-वस्तु प्रदर्शित न हो, अनुबंध की विशेष शर्तों में प्रदर्शन मानदंडों और प्रतिबंधों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। रेल प्रशासन विज्ञापन स्थलों की नियमित निगरानी के माध्यम से इनका अनुपालन सुनिश्चित करता है।

डिजिटल विज्ञापन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने रेल प्रदर्शन नेटवर्क (आरडीएन) नीति भी शुरू की है, जिसमें रेलों को डिजिटल स्क्रीन, वीडियो वॉल, ग्लो साइन बोर्ड और समान

प्रारूपों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार क्षेत्रीय रेलों ने डिजिटल विज्ञापन के लिए संविदा प्रदान किए हैं और मेट्रो रेलवे, कोलकाता ने स्थानीय व्यवहार्यता पर आधारित स्टेशन को-ब्रांडिंग संविदा प्रदान किए हैं।

*****